रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2016/फाल्गुन 4, 1937
No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2016/ PHALGUNA 4, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 5 की उप-धारा (6क) के साथ पठित धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के भत्ते) नियम 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ;-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के भत्ते) संशोधन नियम, 2015 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के भत्ते) नियम, 2000 में, —

   (क) नियम 3 में, —

   (i) अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों "2000 रुपए(दो हजार रुपए केवल)" के स्थान पर "10,000 रुपए (दस हजार रुपए केवल)" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) पहले परन्तुक में, अक्षरों और अंकों "26,000 रुपए" के स्थान पर "60,000/-रुपए (साठ हजार रुपए केवल)" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

   (ख) नियम 4 में, अक्षरों और अंकों "500 रुपए" के स्थान पर "2000/- रुपए (दो हजार रुपए केवल)" अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 10-10/2015- आर इ एस टी जी]

अमित यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सा.का.नि.संख्यांक 666 (अ), तारीख 18 अगस्त, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2016

G. S. R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of Section 35 read with sub-section (6A) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Allowances to part-time members) Rules , 2000, namely;-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called Telecom Regulatory Authority of India (Allowances to part-time members) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecom Regulatory Authority of India (Allowances to part-time members) Rules, 2000,—

(a) in rule 3,—

(i) for letters, figures, brackets and words "Rs. 2000/-(two thousand rupees only)", the letters, figures, brackets and words "Rs. 10,000/- (rupees ten thousand only)" shall be substituted;

(ii) in the first proviso, for letters and figures "Rs. 26000" the letters, figures, brackets and words "Rs. 60,000/-(rupees sixty thousand only)" shall be substituted;

(b) in rule 4, for letters and figures "Rs. 500", the letters, figures, brackets and words "Rs. 2000 (rupees two thousand only)" shall be substituted.

[F. No. 10-10/2015-Restg.]

AMIT YADAV, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 18th August, 2000.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.